

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2582**

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026/ 18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

आयकर विवादों को हल करने की लंबी प्रक्रियाएं

2582. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करदाताओं से वसूले जाने वाले आयकर के संबंध में विवाद को हल करने में अभी भी कई लंबी प्रक्रियाएं शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अपने विवाद समाधान तंत्र में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर के भुगतान के संबंध में कितने मामले न्यायालय में गए हैं?

उत्तर:

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) विवादों के समाधान की प्रक्रियाएँ लंबी नहीं हैं और इतने वर्षों में इन्हें और भी सरल बनाया गया है। आयकर विभाग द्वारा हाल के वर्षों में विवाद समाधान को सरल बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

- i. करदाताओं की सुविधा के लिए 'फेसलेस अपील योजना, 2021' शुरू की गई है।
- ii. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों ("एपीए") को अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में 'आर्म्स लेंथ प्राइस' ("एएलपी") का अग्रिम निर्धारण संभव हो जाता है।
- iii. एमएपी (पारस्परिक समझौता प्रक्रिया) करदाताओं के लिए 'डीटीएए' के तहत उपलब्ध एक वैकल्पिक कर विवाद समाधान तंत्र है, जिसका उपयोग दोहरे कराधान या डीटीएए के अनुरूप न होने वाले कराधान से संबंधित विवादों को हल करने के लिए किया जाता है।
- iv. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 को एकबारगी विवाद समाधान उपाय के तौर पर लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य लंबित पड़े आयकर मुकदमों का निपटान किया जाना, सरकार के लिए राजस्व का समय पर संग्रहण को सुगम बनाना और कर दाताओं को सुनिश्चितता और राहत प्रदान करना था।
- v. विभाग द्वारा अपीलीय मंचों के समक्ष अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमेबाजी केवल उन मामलों में की जाए जिनमें पर्याप्त कर प्रभाव शामिल हों। हालिया संशोधन परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 17 सितंबर, 2024 के माध्यम से किया गया था।

(ख) विवाद समाधान तंत्र में सुधार लाने के लिए वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. आय की गलत रिपोर्टिंग के लिए लगाए गए जुर्माने के मामलों में छूट का दायरा बढ़ाना:

धारा 270ए के तहत आय की कम रिपोर्टिंग के उन मामलों में जुर्माने और अभियोजन से छूट दी गई है, जहां करदाता मांग नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश के अनुसार सभी कर और ब्याज का भुगतान कर देता है और ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गयी होती है। हालांकि, यह छूट केवल तभी उपलब्ध थी जब आय का उल्लेख न किया गया हो या उसे कम बताया गया हो आय की गलत रिपोर्टिंग की प्रकृति का न हो।

वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से, छूट के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि करदाता गलत रिपोर्टिंग के कारण होने वाली कम रिपोर्टिंग की स्थिति में भी छूट प्राप्त कर सकें। इससे विवाद समाधान का दायरा व्यापक हो जाता है जिससे इसमें करदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी में त्रुटियों या विसंगतियों से जुड़े आकलन मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो जाती है, न कि केवल साधारण कम रिपोर्टिंग। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि जुर्माने के बदले गलत तरीके से बताई गई आय पर देय कर के 100% के बराबर अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने पर ऐसी छूट प्रदान की जा सकती है।

ii. अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के दायरे में वृद्धि

वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस के जवाब में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का दायरा बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, जहां पुनर्मूल्यांकन नोटिस के जवाब में अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जाता है और ऐसे मुद्दे पर कर और ब्याज के साथ अतिरिक्त आयकर का कुल योग भुगतान किया जाता है, तो अद्यतन रिटर्न दाखिल करके ऐसे मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

वित्त विधेयक, 2026 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8ए) के तहत अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के दायरे को विस्तारित और उदार बनाने के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान के ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है।

iii. मूल्यांकन आदेश के एक भाग के रूप में जुर्माना लगाना:

वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से, मूल्यांकन आदेश के साथ जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2027 से लागू होगी।

इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ काफी कम हो जाएगा क्योंकि मूल्यांकन और जुर्माने से संबंधित अलग-अलग मुकदमे एक ही मुकदमे में शामिल कर दिए जाएंगे।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विधि न्यायालय में विचाराधीन आयकर के भुगतान से संबंधित मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वित्तीय वर्ष	प्राधिकरण	वर्ष के अंत में लंबित अपीलें
2022-23	उच्च न्यायालय	32,521
	उच्चतम न्यायालय	4,330
2023-24	उच्च न्यायालय	38,099
	उच्चतम न्यायालय	5,916
2024-25	उच्च न्यायालय	43,486
	उच्चतम न्यायालय	6,338

स्रोत: अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, प्रधान आयकर महानिदेशक का कार्यालय (प्रशासन एवं टीपीएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन फा.सं.एच-1101/1/2022-जेडीआईटी-(डीआरएस)/214 दिनांक 27.11.2025
